



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 330]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2011/ज्येष्ठ 31, 1933

No. 330]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2011/JYAISTHA 31, 1933

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2011

सा.का.नि. 470(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 4 के साथ पठित धारा 9 और धारा 76 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम और बनाती है, नामशः :—

1. (1) ये नियम स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहे जा सकेंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में (जिसे इसके बाद "कथित नियम" कहा गया है), नियम 54 में, परन्तुक में, "सरकार द्वारा अधिसूचित किसी आयातक द्वारा विश्लेषणात्मक प्रयोजनों से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान" शब्दों को "किसी आयातक द्वारा विश्लेषणात्मक प्रयोजनों से किसी कैलेंडर वर्ष के दौरान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. कथित नियमावली के प्रपत्र 4क में, शर्त (ii) के बाद 'आयात प्रमाण-पत्र की शर्त' के बाद, निम्नलिखित शर्त जोड़ी जाएगी, नामशः :—

"(iii) यदि आयात विश्लेषणात्मक प्रयोजन के लिए है, तो आयातक,—

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि इस प्रमाण-पत्र के तहत आयातित औषधि का कोई भी अंश विश्लेषणात्मक प्रयोजन से इतर किसी और प्रयोजन से प्रयोग नहीं किया जाएगा;

(ख) आयातित स्वापक औषधि के संपूर्ण प्रयोग के बारे में स्वापक आयुक्त को सूचित करेगा; और

(ग) नियम 42, 45, 46 और 47 में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं का पालन करेगा।"

[फा. सं. एन-11012/7/2010-एन सी-II]

सत्यनारायण दास, अवर सचिव

टिप्पण :—प्रधान अधिसूचना को सा.का.नि. 837(अ) दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के द्वारा भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और बाद में का.आ. 786(अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992, का.आ. 599(अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748(अ) दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543 दिनांक 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82 दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556(अ) दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509(अ) दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350(अ) दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214(अ) दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763(अ) दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115(अ) दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129(अ) दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217(अ) दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95(अ) दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 736(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639(अ) दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि. 2(अ) दिनांक 1 जनवरी, 2008, और का.आ. 1661(अ) दिनांक 13 जुलाई, 2010 और का.आ. 739(अ) दिनांक 11 अप्रैल, 2011 के द्वारा उसमें संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2011

G.S.R. 470(E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 read with Sections 4 and 76 the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985 (hereinafter referred to as the “said rules”), in rule 54, in the proviso, for the words “during a financial year for analytical purposes by any importer notified by the Government” the words “during a calendar year for analytical purposes by an importer” shall be substituted.

3. In Form No. 4A of the said rules, in the ‘Conditions of import certificate’, after the condition (ii), the following condition shall be inserted, namely :—

“(iii) If the import is for analytical purposes, the importer shall,—

- (a) ensure that no part of the drug imported under this certificate shall be used for any purpose other than for analytical purpose;
- (b) inform the Narcotics Commissioner about the complete utilisation of the Narcotic Drug imported; and
- (c) follow the procedures specified in rules 42, 45, 46 and 47.”

[F. No. N-11012/7/2010-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.—The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* notifications S.O. 786 (E) dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E) dated the 10th August, 1993, G.S.R. 748 (E) dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543 dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82 dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E) dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E) dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E) dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E) dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E) dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E) dated 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E) dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E) dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E) dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E) dated the 4th February, 2004, G.S.R. 736 (E) dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E) dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2(E) dated the 1st January, 2008, S.O. 1661(E) dated the 13th July, 2010 and S.O. 739 (E) dated the 11th April, 2011.